न्यायालय : न्यायाधीश, मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, मालपुरा जिला टोंक
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मालपुरा जिला टोंक)

पीठासीन अधिकारी : स्नेहा जाखड़ (RJ00734)
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

क्लेम याचिका संख्या : 07/2019
(सी.एन.आर. नं. : आरजेटीके070000992019)

1. रामबाबू पुत्र मंजूलाल, उम्र 42 साल, निवासी टोड़ा रोड मालपुरा, तहसील मालपुरा, जिला टोंक, (राज.)
2. निर्मला देवी पत्नी रामबाबू, उम्र 42 साल, निवासी टोड़ा रोड मालपुरा, तहसील मालपुरा, जिला टोंक, (राज.)
3. सुमन पुत्री रामबाबू, उम्र 22 वर्ष, निवासी टोड़ा रोड मालपुरा, तहसील मालपुरा, जिला टोंक, (राज.)
4. नेहा पुत्री रामबाबू, उम्र 18 वर्ष, निवासी टोड़ा रोड मालपुरा, तहसील मालपुरा, जिला टोंक, (राज.)
5. तन्नू पुत्री रामबाबू, उम्र 16 वर्ष, निवासी टोड़ा रोड मालपुरा, तहसील मालपुरा, जिला टोंक, (राज.)
6. आदित्य कुमार पुत्र रामबाबू, उम्र 14 साल, निवासी टोड़ा रोड मालपुरा, तहसील मालपुरा, जिला टोंक, (राज.)
7. सोसर देवी पत्नी मंजूलाल, उम्र 69 साल, निवासी टोड़ा रोड मालपुरा, तहसील मालपुरा, जिला टोंक, (राज.)

—आवेदकगण—

बनाम

1. मोहम्मद हनीफ पुत्र इकबाल, निवासी सादात मोहल्ला, वार्ड नं0 3, टोड़ा रोड मालपुरा, तहसील मालपुरा, जिला टोंक, (राज.)
2. गोपाल पुत्र गजानन्द, निवासी तेलियों का मोहल्ला, गांधीपार्क के पास, मालपुरा, तहसील मालुपरा, जिला टोंक (राज.)
3. यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कार्यालय प्लॉट नं0 बी/3 रोनक पैलेस, वीर सावरकर सर्किल, जयपुर रोड मालपुरा, जिला टोंक (राज.)

——प्रतिपक्षीगण——

क्लेम याचिका अन्तर्गत धारा 166 सपठित धारा 140 मोटरयान अधिनियम

उपस्थित –

1. सुश्री शशि जैन, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/आवेदकगण की ओर से।
2. श्री अब्दुल रईस, विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 व 2 की ओर से।
3. श्री रघुवीर सिंह, विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 3 की ओर से।

निर्णय **दिनांक : 08.07.2026**

1. हस्तगत क्लेम याचिका के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि दिनांक 26.10.2018 को समय करीबन 10.30 एएम पर मृतक मनीष अपने घर से बाजार होता हुआ कृषि मण्डी

जा रहा था। सुभाष सर्किल स्थित ''आाशीर्वाद'' नाम की दुकान के सामने पहुंचा तो सामने से एक ट्रेक्टर नं0 आरजे 26 आरए 9177 बहुत तेज गति व लापरवाही से आया और मनीष के टक्कर मारी, जिससे मनीष की मौके पर ही मृत्यु हो गयी। ट्रेक्टर को मोहम्मद हनीफ चल रहा था। इस घटना की रिपोर्ट उसी दिन पुलिस थाना मालपुरा में दर्ज करायी गयी, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 286/2018 अन्तर्गत धारा 279, 304ए भा0दं0सं0 में बाद जांच पुलिस ने वाहन चालक मोहम्मद हनीफ के विरूद्ध धारा 279, 304ए भा0दं0सं0 के अन्तर्गत चालान न्यायालय में पेश किया।

2. क्लेम याचिका में यह भी अंकित किया गया कि दुर्घटना के समय ट्रेक्टर नं0 आरजे 26 आरए 9177 को अप्रार्थी सं0 1, अप्रार्थी सं0 2 के नियोजन काल में चला रहा था। अप्रार्थी सं0 2 ट्रेक्टर का रजिस्टर्ड मालिक है तथा ट्रेक्टर उस समय अप्रार्थी सं0 3 के यहां बीमित था। इसलिए मृतक मनीष की मृत्यु बाबत क्षतिपूर्ति के लिए विपक्षी सं0 1 लगायत 3 संयुक्तः व पृथक–पृथक रूप से जिम्मेदार है, जिनसे प्रार्थीगण क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अंत में विभिन्न मदों के तहत अप्रार्थीगण/विपक्षीगण से कुल 1,26,00,000/– रुपये मय 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिलाये जाने की याचना की।

3. अप्रार्थी सं0 1 व 2 की ओर से जवाब क्लेम याचिका पेश कर यह अभिलिखित किया कि आवेदकगण ने क्लेम लेने की नीयत से पुलिस से साज कर झूठी रिपोर्ट दर्ज कराकर झूठा चालान पेश करवाया है। दिनांक 26.10.2018 को ट्रेक्टर नं0 आरजे 26 आरए 9177 से कोई दुर्घटना कारित नहीं हुई तथा कथित दुर्घटना के समय अप्रार्थी सं0 1 के पास वैध वाहन चालक का लाईसेंस था एवं विपक्षी सं0 2 का उक्त ट्रेक्टर विपक्षी सं0 3 के यहां विधिवत बीमित था, इसलिए उनके विरूद्ध क्लेम खारिज किया जावे।

4. इसके विपरीत विपक्षी सं0 3 बीमा कंपनी की ओर से जवाब याचिका पेश कर कथित वाहन को स्वयं की बीमा कंपनी से बीमित होने से इन्कार नहीं किया, परंतु प्रारम्भिक व विशेष आपत्तियों में यह अभिलिखित किया कि दुर्घटना की एफआईआर 6 घंटे बाद अज्ञात वाहन चालक के विरूद्ध दर्ज करवायी गयी है। उक्त वाहन को झूठे रूप में बीमित होने के कारण आवेदकगण ने क्लेम लेने की बदनियती से प्रतिपक्षी सं0 1, 2 व पुलिस ने आपस में दुरभिसंधि कर ट्रेक्टर नं0 आरजे 26 आरए 9177 को उक्त दुर्घटना में लिप्त बताया है, जबकि उक्त ट्रेक्टर से कोई दुर्घटना नहीं हुई। प्रत्यक्षदर्शी गवाहान का एफआईआर में उल्लेख नहीं है। पुलिस ने विधि अनुरूप अनुसंधान नहीं कर आवेदकगण को क्लेम दिलवाने की नीयत से गलत अनुसंधान किया है। आगे यह भी कथन किये कि यदि दुर्घटना सिद्ध भी हो जावे तो ट्रेक्टर नं0 आरजे 26 आरए 9177 के चालक विपक्षी सं0 1 के पास उक्त ट्रेक्टर को चलाने का वैध एवं प्रभावी लाईसेंस वक्त दुर्घटना नहीं था। जबकि वास्तविकता यह है कि मृतक मनीष स्वयं सुभाष सर्किल पर

रोड पर चलते हुए ट्रेक्टर–ट्रोली पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था तथा ट्रेक्टर पर चढ़ते समय मृतक का पांव फिसल गया, जिससे मृतक मनीष स्वयं अपनी गफलत व लापरवाही से गिरा है, इसलिए स्वयं की लापरवाही से हुई दुर्घटना के लिए बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है। मृतक मनीष कोई आय अर्जित नहीं करता था। कोई दवा के बिल, ईलाज की पर्चियां व खर्चे के बिल पेश नहीं किये। वाहन का मैकेनिकल मुआयना घटना के 15 दिन बाद किया गया है, जिसमें ट्रेक्टर–ट्रोली पर किसी प्रकार के नुकसान का उल्लेख नहीं है। बीमा कंपनी मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 170 के तहत अपने प्रावधानों व अधिकारों को सुरक्षित रखती है। प्रकरण में जानबूझकर किये जा रहे विलम्ब के लिए बीमा कंपनी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। बीमा कंपनी की जिम्मेदारी 64 वीबी अधिनियम की परिपालना पर ही बनती है। अतः बीमा कंपनी के विरूद्ध आवेदन मय हर्जा खर्चा खारिज किया जावे।

5. उभय पक्षकारगण की ओर से प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर हस्तगत क्लेम याचिका के निस्तारण हेतु निम्नांकित तनकीयात विरचित की गयी है :–

(1) आया प्रश्नगत वाहन ट्रेक्टर नम्बर आरजे 26 आरए 9177 के चालक अप्रार्थी संख्या एक मोहम्मद हनीफ के द्वारा दिनांक 26.10.2018 को समय करीब 10.30 एएम पर स्थान सुभाष सर्किल के पास उक्त वाहन को तेज, गफलत व लापरवाही से चलाकर मनीष के टक्कर मारी, जिससे उक्त दुर्घटना में आयी चोटों के कारण मनीष की मृत्यु हो गयी?

–प्रार्थीगण–

(2) आया उक्त वाहन चालक विपक्षी संख्या 1 घटना के समय वाहन स्वामी विपक्षी संख्या 2 के नियोजन में होकर व विपक्षी संख्या 3 की बीमित अवधि में उक्त वाहन को विपक्षी सं0 2 के हितार्थ व लाभार्थ कार्य कर रहा था?

–प्रार्थीगण–

(3) आया विपक्षी संख्या 3 बीमा कंपनी अपने लिखित कथन के प्रारम्भिक आपत्तियों एवं विशेष कथन को दृष्टिगत रखते हुए, बीमा कंपनी अपने दायित्वों से मुक्त हो सकती है, यदि नहीं तो इसका क्या प्रभाव है?

–अप्रार्थी–

(4) आया प्रार्थीगण अपने–अपने प्रार्थना पत्र में अंकित राशि व अन्य कोई न्याय सम्मत राशि प्राप्त कर सकते है, हां तो कौन–कौन प्रार्थी कितनी–कितनी राशि किस–किस प्रकार प्राप्त करने के अधिकारी है?

(5) अनुतोष?

6. प्रार्थीगण की ओर से अपने मामले के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में गवाह ए.ड. 1 रामबाबू,

ए.ड. 2 धर्मा, ए.ड. 3 आनन्द, ए.ड. 4 महेन्द्र कुमार के बयान लेखबद्ध करवाये गये तथा दस्तावेजीय साक्ष्य में एफआईआर प्रदर्श 1, चार्जशीट प्रदर्श 2, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श 3, तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श 4, नक्शा मौका प्रदर्श 5, फर्द जब्ती ट्रेक्टर प्रदर्श 6, फर्द जब्ती कागजात प्रदर्श 7, नोटिस धारा 134 एमवी एक्ट प्रदर्श 8, मैकेनिकल मुआयना प्रदर्श 9, फर्द पंचायतनामा प्रदर्श 10, लाश सुपुर्दगी रसीद प्रदर्श 11, चालक का ड्राईविंग लाईसेंस प्रदर्श 12, आरसी प्रदर्श 13, बीमा प्रदर्श 14, सुपुर्दगीनामा प्रदर्श 15, जमानतनामा प्रदर्श 16, मनीष का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 17 पेश कर प्रदर्शित करवाये तथा प्रार्थी साक्ष्य समाप्त की। इसके विपरीत अप्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थी साक्ष्य में एनएडब्ल्यू 1 राजेश जोशी के बयान लेखबद्ध करवाये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में बीमा पॉलिसी प्रदर्श ए1, चालक के ड्राईविंग लाईसेंस का वेरीफिकेशन प्रदर्श ए2, गवाह आनन्द, निखिल, रामबाबू, धर्मा, गोपाल लाल के धारा 161 सीआरपीसी के बयान प्रदर्श ए3 लगायत प्रदर्श ए7 पेश कर प्रदर्शित करवाये तथा अप्रार्थी साक्ष्य समाप्त की।

7. बहस अंतिम सुनी गयी। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने क्लेम याचिका में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि घटना के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद अनुसंधान अधिकारी ने सम्पूर्ण जांच कर दुर्घटना कारित करने वाले वाहन चालक मोहम्मद हनीफ के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया है, जिससे यह साबित होता है कि दुर्घटना दिनांक 26.10.2018 को अप्रार्थी मोहम्मद हनीफ द्वारा अपने वाहन ट्रेक्टर सं0 आरजे 26 आरए 9177 को तेज गति, उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर कारित की है। प्रार्थीगण ने साक्ष्य पेश कर वाहन चालक की गलती को साबित किया है। उक्त वाहन चालक द्वारा गफलत व लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित की है, जिसके परिणामस्वरूप मनीष के शरीर पर आयी चोटों के कारण उसकी मृत्यु कारित हुई है। प्रकरण में दुर्घटना होना साबित है, इसलिए प्रार्थीगण क्षतिपूर्ति के रूप में अप्रार्थीगण से राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अप्रार्थीगण ने किसी भी रूप में क्लेम पिटिशन का खण्डन नहीं किया है। मृतक थर्ड पार्टी है तथा उक्त वाहन थर्ड पार्टी बीमित है, जो बीमा पॉलिसी से साबित है। मृतक मनीष का 20 वर्ष उम्र का होना व सफाई कार्य करना बखूबी साबित है। अतः क्लेम याचिका स्वीकार कर प्रार्थीगण के पक्ष में अवार्ड पारित कर राशि मय ब्याज दिलवायी जावे। अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये–

- Civil Appeal No. ..../2025 (Special Leave Petition (Civil) No. 2135/2023) The Royal Sundaram Alliance Insurance Company Limited Vs. Smt. Honnamma & Ors. (SC)
- MAC App. 175/2015 & CM Appl. 3065/2015 Reliance Genral Insurance Co.

Ltd. Vs. Meena katiyar & Ors. (Delhi High Court)

- 2005 DNJ (SC) 645 Natwar Parikh & Co. Ltd. Vs. State of Karnataka & Ors.
- 2016(1) ACTC (Raj.) 14 New India Assurance Company Ltd. Vs. Smt. Heera Bai & Ors.
- 2016(1) ACTC (Raj.) 98 United India Insurance Co. Ltd. Vs. Smt. Geera Devi & Ors.
- 2005(1) TAC 270 (P&H) United India Insurance Company Ltd. Vs. Surender and Others
- 2016(2) ACTC (Raj.) 1065 RSRTC Vs. Smt. Nirmala & Anr.
- S.B. Civil Misc. Appeal No. 1647/2006 Shivang Dev Vs. Pawan Kumar & Anr. (Rajasthan High Court)
- 2014(2) RLW 1281 (SC) Fahim Ahmad & Ors. Vs. United India Insurance Co. Ltd. & Ors.
- 2013(1) ACTC (Raj.) 57 National Insurance Co. Ltd. Keshanti & Ors.

8. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 व 2 ने अपने वाहन को बीमित होना बताते हुए विपक्षी सं0 1 की उपेक्षा एवं लापरवाही से दुर्घटना कारित होने से इन्कार किया है तथा विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 3 बीमा कंपनी ने अपने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि वाहन ट्रेक्टर सं0 आरजे 26 आरए 9177 का बीमा अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी द्वारा किया गया था, परंतु वाहन स्वामी द्वारा बीमा शर्तों का उल्लंघन किया गया है। उक्त वाहन से कोई दुर्घटना कारित नहीं हुई। उक्त वाहन चालक अप्रार्थी सं0 1 के पास वैध व प्रभावी लाईसेंस वरवक्त दुर्घटना नहीं था। ट्रेक्टर कृषि प्रयोजन हेतु बीमित था, उसमें यात्रा कर रहे व्यक्ति का जोखिम पॉलिसी में कवर नहीं होता है। इसलिए बीमा शर्तों के विपरीत वाहन चलाने के कारण दुर्घटना में हुई क्षति की पूर्ति के लिए बीमा कंपनी उत्तरदायी नहीं है तथा मृतक मनीष स्वयं अपनी लापरवाही से गिरा है। भाई–बहिन मृतक पर वास्तविक रूप से आश्रित नहीं है तो उन्हें प्रतिकर का अधिकार स्वतः प्राप्त नहीं होता। मृतक की आय व आश्रितता सिद्ध नहीं हुई है। अतः क्लेम याचिका खारिज की जावे। अधिवक्ता बीमा कंपनी की ओर से अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये–

- (2004)8 SCC 697 National Insurance Co. Ltd. Vs. V. Chinnamma & Ors.
- (2007)7 SCC 56 Oriental Insurance Co. Ltd. Vs. Brij Mohan & Ors.
- (2004)8 SCC 517 National Insurance Co. Ltd. Vs. Challa Bharathamma
- S.B. Civil Misc. Appeal No. 1514/2003 National Insurance Co. Ltd. Vs. Smt. Vimlesh & Ors.

- 2017(1) RAR 331 (Raj.) Jai Singh & Anr. Vs. Prem Singh & Ors.
- 2024(1) RAR 44 (Raj.) Oriental Insurance Company Limited Vs. Hardevaram
- 2016(2) ACTC (Raj.) 759 Ram Dayal & Ors. Vs. Hari Singh & Ors.

9. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया गया। हस्तगत क्लेम याचिका में विरचित विवाद्यकों के निस्तारण हेतु न्यायालय का विनम्र विनिश्चय निम्नानुसार है :—

—विवाध्यक संख्या 01—

10. आया प्रश्नगत वाहन ट्रेक्टर नम्बर आरजे 26 आरए 9177 के चालक अप्रार्थी संख्या एक मोहम्मद हनीफ के द्वारा दिनांक 26.10.2018 को समय करीब 10.30 एएम पर स्थान सुभाष सर्किल के पास उक्त वाहन को तेज, गफलत व लापरवाही से चलाकर मनीष के टक्कर मारी, जिससे उक्त दुर्घटना में आयी चोटों के कारण मनीष की मृत्यु हो गयी?

—प्रार्थीगण—

11. उक्त विवाध्यक के संदर्भ में साक्ष्य विवेचन से पूर्व स्थापित विधिव्यवस्था से मार्गदर्शन प्राप्त करें तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टांत Bimla Devi & Ors Vs. Himachal Road Transport Corpn.& Ors AIR 2009 S.C.2819 में यह प्रतिपादित किया है कि —

"*12. While dealing with a claim petition in terms of Section 166 of the Motor Vehicles Act, 1988, a Tribunal stricto sensu is not bound by the pleadings of the parties; its function being to determine the amount of fair compensation in the event an accident has taken place by reason of negligence of that driver of a motor vehicle. It is true that occurrence of an accident having regard to the provisions contained in Section 166 of the Act is a sine qua non for entertaining a claim petition but that would not mean that despite evidence to the effect that death of the claimant's predecessor had taken place by reason of an accident caused by a motor vehicle, the same would be ignored only on the basis of a post mortem report vis-`-vis the averments made in a claim petition.*

15. In a situation of this nature, the Tribunal has rightly taken a holistic view of the matter. It was necessary to be borne in mind that strict proof of an accident caused by a particular bus in a particular manner may not be possible to be done by the claimants. The claimants were merely to establish their case on the touchstone of preponderance of probability. The standard of proof

beyond reasonable doubt could not have been applied.”

12. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टांत Parmeshwari Vs Amir Chand & Ors AIR 2011 S.C. 1504 तथा National Insurance Company Vs. Pushpa Rana 2009 ACJ 287 में भी यह प्रतिपादित किया है कि लापरवाही का निर्णय संभावनाओं की प्रबलता के आधार पर किया जाना चाहिए और एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। यह भी माना गया है कि मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाहियाँ दीवानी मुकदमों की कार्यवाही के समान नहीं होने से उन पर साक्ष्य के कड़े नियम लागू नहीं होते हैं। यह भी स्थापित विधि है कि दावेदारों द्वारा किसी विशेष तरीके से हुई दुर्घटना का पुख्ता प्रमाण प्रस्तुत करना संभव नही हो सकता है तथा दावेदारों को केवल संभाव्यता की प्रबलता के आधार पर अपना मामला स्थापित करना होता है। दुर्घटना दावे संबंधी मामलों में संदेह से परे प्रमाण का मानक लागू नहीं किया जा सकता है।

13. उक्त विधिव्यवस्था के मार्गदर्शन में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का समेकित रूप से विवेचन करने पर यह प्रकट होता है कि घटना दिनांक 26.10.2018 को प्रातः 10.30 बजे के करीब घटित हुई है, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श–01 मृतक के पिता रामबाबू ने उसी दिन शाम 04.22 बजे दर्ज करवायी है। अप्रार्थी संख्या 03 ने यह आपत्ति ली है कि घटना की रिपोर्ट 6 घंटे विलंब से दर्ज करवायी गई है, जिससे उक्त प्रकरण झूठा होना साबित है। परंतु स्वाभाविक रूप से घटना के बाद मृतक को अस्पताल ले जाया गया है तथा समय 11.40 एएम पर मृतक का पोस्टमॉर्टम होने के बाद उसकी लाश परिजनों को सुपुर्द की है और उसके बाद उसका दाहसंस्कार किया गया होगा। इस प्रकार की परिस्थितियों में किसी से भी यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाए। उक्त परिस्थितियों में प्रथम सूचना रिपोर्ट 6 घंटे विलंब से दर्ज कराना उक्त दुर्घटना को अविश्वसनीय नहीं बनाता है।

14. घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में परीक्षित एडब्ल्यू 02 धर्मा, एडब्ल्यू 03 आनंद तथा एडब्ल्यू 04 महेंद्र ने दुर्घटना स्वयं के सामने घटित होना तथा ट्रेक्टर चालक मोहम्मद हनीफ द्वारा ट्रेक्टर संख्या आर.जे.–26–आर.ए.–9177 को तेज गति व लापारवाही से चलाकर पैदल जा रहे मनीष को टक्कर मार देना और मनीष की वहीं मृत्यु हो जाना बताया है। साक्षी एडब्ल्यू 02 ने वक्त दुर्घटना घटनास्थल के पास स्थित कलाश्री की दुकान के बाहर खड़े होना, साक्षी एडब्ल्यू 03 ने दुर्घटना कारित करने वाले ट्रेक्टर में ही बैठा होना तथा एडब्ल्यू 04 ने दुर्घटना स्थल के पास ही आशीर्वाद के नाम से स्वयं की दुकान होना बताया है। नक्शा मौका प्रदर्श 05 में कलाश्री व आशीर्वाद के नाम से दुकाने स्थित होना दर्शित किया गया है, जिससे उक्त साक्षियों का स्वाभाविक एवं विश्वसनीय तथा प्रत्यक्षदर्शी होना प्रकट होता है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट प्रदर्श 03 में मृत्यु का कारण ट्रेक्टर से गिरने से आई चोटों के कारण होना अंकित किया है। उक्त दुर्घटना की दर्ज करायी गई प्रथम सूचना

रिपोर्ट प्रदर्श 01 में बाद अनुसंधान अप्रार्थी संख्या 01 के विरुद्ध धारा 279, 304ए भा0दं0सं0 में आरोप पत्र प्रदर्श–02 सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। स्वयं अप्रार्थी सं0 3 बीमा कंपनी की ओर से प्रदर्शित बयान प्रदर्श– ए03 लगायत प्रदर्श–ए07 से भी दावा याचिका के तथ्यों को समर्थन प्राप्त हुआ है।

15. इस प्रकार यह विश्वसनीय रूप से साबित है कि अप्रार्थी संख्या 01 मोहम्मद हनीफ ने दिनांक 26.10.2018 को प्रातः 10.30 बजे के करीब ट्रेक्टर संख्या आर.जे.–26–आर.ए.–9177 को गफलत, उपेक्षा एवं लापरवाहीपूर्ण तरीके से चलाकर सुभाष सर्किल के पास पैदल जा रहे मनीष को टक्कर मार दी, जिसमें आई चोटों के परिणामस्वरूप मनीष की मृत्यु कारित हो गई। अतः विवाध्यक संख्या 01 प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरुद्ध विनिश्चित किया जाता है।

–:: विवाध्यक संख्या 02 ::–

16. आया उक्त वाहन चालक विपक्षी संख्या 01 घटना के समय, वाहन स्वामी विपक्षी संख्या 02 के नियोजन में होकर व विपक्षी संख्या 03 की बीमित अवधि में उक्त वाहन को अप्रार्थी संख्या 02 के हितार्थ व लाभार्थ कार्य कर रहा था?

17. उक्त विवाध्यक को साबित करने का भार प्रार्थीगण पर है। इस संबंध में प्रार्थीगण द्वारा प्रदर्शित दस्तावेजों से प्रकट होता है कि अप्रार्थी संख्या 01 को दिए गए धारा 134 एमवी एक्ट के नोटिस के जवाब में अप्रार्थी संख्या 01 ने यह स्वीकार किया है कि दिनांक 26.10.2018 को ट्रेक्टर संख्या आर.जे.–26–आर.ए.–9177 पर वक्त दुर्घटना चालक वह स्वयं था। वाहन स्वामी गोपाल लाल ने धारा 133 एमवी एक्ट के नोटिस के जवाब में यह स्वीकार किया है कि वक्त दुर्घटना उसके ट्रेक्टर संख्या आर.जे.–26–आर.ए.–9177 पर अप्रार्थी संख्या 01 मोहम्मद हनीफ चालक था। दस्तावेज प्रदर्श–08 के अनुसार घटना दिनांक को अप्रार्थी सं0 1 चालक के रूप में नियुक्त था। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के जवाब से भी यह तथ्य समार्थित है। इस प्रकार दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से यह साबित है कि दिनांक 26.10.2018 को अप्रार्थी संख्या 01 अप्रार्थी सं0 2 के नियोजन में होकर उसके हितार्थ एवं लाभार्थ कार्य कर रहा था। वक्त दुर्घटना ट्रेक्टर संख्या आर.जे.–26–आर.ए. –9177 का अप्रार्थी संख्या 03 के यहाँ बीमित होने के संबंध में प्रार्थीगण ने बीमा पॉलिसी प्रदर्श–14 को प्रदर्शित कराया है, जिसके अनुसार ट्रेक्टर संख्या आर.जे.–26–आर.ए.–9177 का दिनांक 06.03.2018 से दिनांक 05.03.2019 तक अप्रार्थी संख्या 03 द्वारा बीमा किया हुआ है। दुर्घटना दिनांक 26.10.2018 को घटित हुई है, जिससे उक्त ट्रेक्टर का दुर्घटना दिनांक को अप्रार्थी संख्या 03 के यहाँ बीमित होना साबित होता है। अतः विवाध्यक संख्या 02 प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरुद्ध विनिश्चित किया जाता है।

–:: विवाध्यक संख्या 03 ::–

18. आया विपक्षी संख्या 03 बीमा कंपनी अपने लिखित कथन की प्रारंभिक आपत्तियों एवं

विशेष कथन को दृष्टिगत रखते हुए अपने दायित्व से मुक्त हो सकती है, यदि नहीं तो इसका क्या प्रभाव है?

19. उक्त विवाध्यक को साबित करने का भार अप्रार्थी संख्या 03 पर है। अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी ने प्रमुख रूप से यह आपत्ति ली है कि वक्त दुर्घटना चालक के पास वैध एवं प्रभावी चालक अनुज्ञा पत्र नहीं था तथा बीमा शर्तों के विपरीत ट्रेक्टर को संचालित करने के कारण बीमा कंपनी दुर्घटना में हुई क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है। उक्त तथ्य को साबित करने के लिए बीमा कंपनी की ओर से एन0ए0डब्ल्यू0–01 राजेश जोशी परीक्षित हुआ है। जिसने बीमा पॉलिसी प्रदर्श–14 की प्रति को प्रदर्श ए–1 के रूप में प्रदर्शित कराते हुए साक्ष्य दी है कि उक्त बीमा मिसलेनियस एंड स्पेशल टाइप ऑफ व्हीकल के तहत किया गया है तथा प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि ट्रेक्टर वरवक्त दुर्घटना मिसलेनियस एंड स्पेशल टाइप ऑफ व्हीकल के रूप में बीमित था तथा प्रदर्श–ए01 बीमा पॉलिसी में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि उक्त ट्रेक्टर का बीमा कृषि कार्य के लिए किया गया है। यह भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श–ए01 पॉलिसी में अंकित मिसलेनियस एंड स्पेशल टाइप ऑफ व्हीकल का अर्थ विविध एवं विशेष रूप से प्रयोग किए जाने वाले वाहन है तथा उक्त पॉलिसी में ट्रेक्टर के साथ ट्रोली का भी बीमा किया हुआ है। उक्त साक्षी कहीं भी यह स्पष्ट नहीं कर सका है कि ट्रेक्टर का बीमा केवल कृषि कार्य के लिए किया गया हो। बल्कि पॉलिसी से स्पष्ट है कि ट्रेक्टर का बीमा विविध व विशेष रूप से प्रयोग के लिए किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त ट्रेक्टर वक्त दुर्घटना नगर पालिका में संविदा पर लगा हुआ था, जबकि कृषि कार्य के लिए बीमित वाहन को नियमानुसार नगरपालिका में नहीं लगाया जा सकता। इससे स्पष्ट है कि वक्त दुर्घटना उक्त ट्रेक्टर विधि अनुसार बीमित था तथा बीमा पॉलिसी की शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। जहाँ तक वक्त दुर्घटना अप्रार्थी संख्या 01 के पास वैध एवं प्रभावी चालक अनुज्ञा पत्र नहीं होने संबंधी आपत्ति का प्रश्न है तो प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं0 01 मोहम्मद हनीफ के चालक अनुज्ञा पत्र की प्रति को प्रदर्श–12 के रूप में प्रदर्शित कराया है, जिससे प्रकट होता है कि प्रार्थी के पास दिनांक 01.05.1992 से दिनांक 04.08.2021 तक की अवधि के लिए वैध चालक अनुज्ञा पत्र रहा है, जिससे अप्रार्थी बीमा कंपनी की उक्त आपत्ति निराधार प्रतीत होती है।

20. उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 01 के पास दुर्घटना दिनांक को ट्रेक्टर संख्या आर.जे.–26–आर.ए.–9177 को चलाने का वैध एवं प्रभावी अनुज्ञा पत्र रहा है तथा उक्त ट्रेक्टर अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी के द्वारा बीमित रहा है। उपरोक्तानुसार विवाध्यक संख्या 03 प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थी 03 के विरुद्ध विनिश्चित किया जाता है।

–:: विवाध्यक संख्या 04 ::–

21. आया प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र में अंकित राशि या अन्य कोई न्यायसम्मत राशि प्राप्त कर सकते हैं, यदि हाँ, तो कौन–कौन प्रार्थी, कितनी–कितनी राशि, किस–किस विपक्षी

से एवं किस प्रकार प्राप्त करने की अधिकारी हैं?

22. उक्त विवाध्यक को साबित करने का भार प्रार्थीगण पर है। इस संबंध में साक्षी एडब्ल्यू 01 रामबाबू ने मुख्य परीक्षा में साक्ष्य दी है कि उसका बड़ा पुत्र मनीष सफाई कार्य करके 15,000/- से 20,000/- रुपये प्रतिमाह कमाता था। उसका छोटा पुत्र विकलांग है तथा तीन पुत्रियाँ हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने अपने लड़के की आमदनी से संबंधित दस्तावेज पेश नहीं किए हैं। साक्षी एडब्ल्यू 02 धर्मा ने साक्ष्य दी है कि रामबाबू का दूसरा लड़का हाथ–पैरों से विकलांग है और कुछ भी नहीं कर सकता है। मनीष प्रतिदिन करीब 500–700 रुपये कमा लेता था। प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि मनीष जगदीश ठेकेदार के कृषि उपज मंडी मालपुरा में सफाई का कार्य करता था।

23. सर्वप्रथम मृतक की आयु के संबंध में साक्ष्य का अवलोकन करें तो प्रार्थीगण ने याचिका में मृतक मनीष की आयु 20 वर्ष होना अंकित किया है। साक्षी एडब्ल्यू 01 ने दुर्घटना के समय मृतक मनीष की आयु 20 वर्ष होना बताया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श–01 में मृतक की आयु 20 वर्ष होना अंकित किया गया है तथा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट प्रदर्श–03 व फर्द पंचायतनामा लाश प्रदर्श–10 में भी मृतक की आयु 20 वर्ष होना लिखा है। जिसके खंडन में कोई साक्ष्य नहीं आई है। प्रार्थीगण ने मृतक के मतदाता पहचान पत्र तथा जन्म प्रमाण पत्र की प्रति पेश की है। जिनमें मृतक मनीष की जन्मदिनांक 22.06.1998 अंकित है। प्रकरण की दुर्घटना दिनांक 26.10.2018 की है, जिससे भी मृतक की आयु 20 वर्ष होना प्रकट होती है। अतः मृतक मनीष की वक्त दुर्घटना आयु 20 वर्ष होना निर्धारित की जाती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत Sarla Verma Vs. Delhi Transport Corp. AIR 2009 SC 3104 में प्रतिपादित विधिव्यवस्था अनुसार धारा 166 एमवी एक्ट के दावे में उक्त आयु वर्ग के लिए 18 का गुणांक निर्धारित किया गया है।

24. <u>(A) धन संबंधी/आर्थिक हानि (Pecuniary Damage) :–</u>

(i) आय का निर्धारण (Income) :– प्रार्थीगण ने मृतक की आय के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। राजस्थान सरकार के श्रम विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार स्वीपर को अकुशल श्रमिक की श्रेणी में रखा गया है। दुर्घटना दिनांक 26.10.2018 को घटित हुई है तथा श्रम विभाग द्वारा दिनांक 01.01.2018 से 30.04.2019 की अवधि में अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी 5,538/- रुपये प्रतिमाह होना अधिसूचित की गई है। अतः मृतक की मासिक आय 5,538/- रुपये प्रतिमाह निर्धारित की जाती है।

(ii) भविष्य वृत्ति(Future Prospects) :– मृतक का वक्त घटना 20 वर्ष आयु का होकर 5,538/- रुपये प्रतिमाह आय अर्जित करना प्रमाणित हुआ है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत National Insurance Company Ltd. Vs Pranay Sethi AIR 2017 S.C. 5157 में प्रतिपादित विधिव्यवस्था के मार्गदर्शन में मृतक के आयु वर्ग को

दृष्टिगत रखते हुए उसकी वार्षिक आय में 40 प्रतिशत भविष्य वृति राशि 2215/– रुपये जोड़े जाने पर मृतक की मासिक आय (5,538 + 2215) = 7,753/– रुपये प्रति माह निर्धारित की जाती है।

(iii) आश्रियता की हानि (Loss of Dependency) :– प्रार्थी संख्या 01 व 02 मृतक के माता–पिता हैं तथा प्रार्थिया संख्या 07 मृतक की दादी है। उक्त तीनों मृतक के प्रथम श्रेणी के वारिस हैं तथा प्रार्थी संख्या 03 लगायत 06 द्वितीय श्रेणी के वारिस है। चूंकि मृतक के प्रथम श्रेणी के वारिस मौजूद है, इस कारण द्वितीय श्रेणी के वारिस अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। इस प्रकार मृतक पर आश्रितों की संख्या 03 रही है। साक्ष्य से यह स्पष्ट हुआ है कि प्रार्थी रामबाबू पर अपने दिव्यांग पुत्र व नाबालिग पुत्री सहित 06 व्यक्तियों के भरण–पोषण की जिम्मेदारी है। उक्त परिस्थितियों में स्वाभाविक रूप से मृतक द्वारा भी अपने परिवार के भरण–पोषण में योगदान दिया जाता रहा होगा। ऐसी स्थिति में न्यायिक दृष्टांत Sarla Verma Vs. Delhi Transport Corp. AIR 2009 SC 3104 में दी गई विधि व्यवस्था के मार्गदर्शन में उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए मृतक द्वारा स्वयं पर अपनी आय 7,753/– रुपये का 1/4 भाग अर्थात 1938/– रुपये खर्च किया जाकर शेष राशि 5,815/– रुपये का अपने परिवार को अंशदान के रूप में प्रदत्त किया जाना माना जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इस प्रकार प्रार्थीगण को 5,815/– रुपये प्रतिमाह वार्षिक आश्रियता की हानि हुई है। मृतक का 15 से 25 आयु वर्ग का होने से 18 का गुणांक प्रयोग किए जाने पर प्रार्थीगण को 5815 x 12 x 18 = 12,56,040/– रुपये कुल आश्रियता की हानि होना पाया जाता है।

25. **<u>(B) गैर धन संबंधी/गैर आर्थिक हानियाँ :–</u>**

(i) मृतक के माता–पिता व दादी को पुत्र व पौत्र स्नेह से वंचना के मद में – 40,000 x 3 = 1,20,000/– रुपये।

(ii) मृतक के अंतिम संस्कार, क्रियाकर्म व पश्चातवर्ती अन्य धार्मिक रीतिरिवाजों पर हुए व्यय हेतु प्रतिकर राशि 20,000/– रुपये

(iii) अन्य संपत्ति की क्षति के मद में 5,000/– रुपये

(iv) मृतक को दुर्घटना उपरांत अस्पताल ले जाने व शव को वापिस लाने में हुए व्यय राशि– 5000/– रुपये

26. उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी संख्या 01, 02 व 07 मृतक मनीष की दुर्घटना में हुई मृत्यु के लिए निम्न प्रकार प्रतिकर राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं :–

क0सं0	क्षतिपूर्ति का मद	क्षतिपूर्ति राशि
1	धन संबंधी/आर्थिक हानि	12,56,040/– रुपये
2	प्रार्थीगण को कंसोर्टियम के मद में	1,20,000/– रुपये
3	अंतिम संस्कार/कियाकर्म	20,000/– रुपये

4	संपत्ति की क्षति	5,000 / – रुपये
5	शव का परिवहन	5,000 / – रुपये
कुल प्रतिकर राशि		**14,06,040 / – रुपये**

27. जहाँ तक क्षतिपूर्ति राशि की अदायगी के दायित्व का प्रश्न है तो साक्ष्य विवेचन से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि उक्त दुर्घटना अप्रार्थी संख्या 01 मोहम्मद हनीफ द्वारा दिनांक 26.10.2018 को प्रातः 10.30 बजे के करीब ट्रेक्टर संख्या आर.जे.–26–आर.ए.–9177 को गफलत, उपेक्षा एवं लापरवाहीपूर्ण तरीके से चलाकर सुभाष सर्किल के पास पैदल जा रहे मनीष को टक्कर मार देने के परिणामस्वरूप घटित हुई है। यह भी साबित हुआ है कि वक्त दुर्घटना अप्रार्थी संख्या 01 अप्रार्थी संख्या 02 के नियोजन में होकर उनके हितार्थ व लाभार्थ कार्य कर रहा था तथा वक्त दुर्घटना वाहन चालक अप्रार्थी संख्या 01 के पास उक्त वाहन को चलाने का वैध एवं प्रभावी अनुज्ञा पत्र मौजूद था। यह भी साबित हुआ है कि उक्त दिनांक को ट्रेक्टर संख्या आर.जे.–26–आर.ए.–9177 अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी द्वारा बीमित था तथा बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन किया जाना प्रकट नहीं हुआ है। अतः प्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि की अदायगी हेतु अप्रार्थीगण संयुक्ततः एवं पृथक–पृथक रूप से दायित्वयाधीन है।

–:: विवाध्यक संख्या 05 ::–

28. अनुतोषः– विवाध्यक संख्या 01 लगायत 04 के विवेचनानुसार प्रार्थी संख्या 01, 02 व 07 प्रतिकर के रूप में कुल राशि 14,06,040 / – रुपये (चौदह लाख छः हजार चालीस रुपये) अप्रार्थीगण से संयुक्ततः एवं पृथक–पृथक रूप से प्राप्त करने के अधिकारी हैं। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक 11.02.2019 से प्रतिकर राशि पर 7 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी है। उक्त क्षतिपूर्ति राशि के लिए अप्रार्थी सं0 3 बीमा कंपनी उत्तरदायी है।

–:: पंचाट ::–

29. परिणामतः प्रार्थीगण रामबाबू व अन्य की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 166 मोटर वाहन अधिनियम विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी संख्या 01, 02 व 07, अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 03 से संयुक्ततः एवं पृथक–पृथक रूप से 14,06,040 / – रुपये (चौदह लाख छः हजार चालीस रुपये) की राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं। शेष राशि बाबत अनुतोष की मांग अस्वीकार की जाती है। प्रार्थी सं0 3 लगायत 6 किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं पाये गये हैं। अतः उनकी हद तक प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पूर्व में यदि दोषरहित दायित्व के अधीन कोई राशि अदा की गई है तो वह राशि प्रतिकर राशि

में समायोजित होगी एवं शेष राशि पर प्रार्थी सं0 1, 2 व 7 प्रार्थना पत्र प्रस्तुति दिनांक से 07 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी हैं। उक्त क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान अप्रार्थी सं0 3 बीमा कंपनी द्वारा किया जावे।

30. प्रार्थीगण में अवार्ड के अनुसार प्रतिकर विभाजन निम्न प्रकार से किया जावेगाः–

क0सं0	नाम प्रार्थी	बचत खाते के माध्यम से नगद देय राशि	राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि खाते में जमा राशि	सावधि की अवधि
01	रामबाबू	2,06,040/– रुपये व सम्पूर्ण राशि पर देय ब्याज राशि	1,50,000/– रुपये 1,50,000/– रुपये 1,00,000/– रुपये	01 वर्ष 02 वर्ष 03 वर्ष
02	निर्मला देवी	2,00,000/– रुपये	1,50,000/– रुपये 1,00,000/– रुपये 1,00,000/– रुपये	01 वर्ष 02 वर्ष 03 वर्ष
03	सोसर देवी	1,00,000/– रुपये	50,000/– रुपये 50,000/– रुपये 50,000/– रुपये	01 वर्ष 02 वर्ष 03 वर्ष

31. दोनों पक्ष माननीय उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय AIR 2025 SC 1713 Perminder Singh Vs. Hani Goyal वाले मामलें में दिये गए दिशा–निदेर्शों की पालना सुनिश्चित करें, इस हेतु निम्न आदेश पारित किया जाता है किः–

- सम्बंधित आदेशित भुगतानकर्ता पक्ष उक्त पंचाट में पारित आदेशानुसार राशि 14,06,040/– मय ब्याज अवार्ड में वर्णित आवेदकगण के बैंक खातों में नियमानुसार जमा करवायें।
- आवेदकगण सम्बंधित भुगतानकर्ता पक्ष को नियमानुसार अपने MACT बैंक खाते सम्बंधी सूचना अविलम्ब अप्रार्थीगण/भुगतानकर्ता को व अधिकरण को मय सत्यापित आवश्यक दस्तावेज के उपलब्ध कराये।
    a) खाता धारक का नाम
    b) बैंक का नाम मय स्थान
    c) पेनकार्ड संख्या
    d) खाता संख्या
    e) IFSC कोड
    f) आधार कार्ड
- यदि आवेदकगण उक्त बैंक सम्बंधी विस्तृत सूचना आदेश की तिथि के 30 दिवस की अवधि के भीतर अधिकरण व सम्बंधित भुगतानकर्ता पक्ष को उपलब्ध नहीं करवाते हैं व सम्बंधित भुगतानकर्ता लिखित में अधिकरण के समक्ष अवार्ड राशि जमा करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करता है तो भुगतान सम्बंधी सुचना उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में भुगतानकर्ता उक्त आवेदन की तिथि के बाद जब तक आवेदकगण द्वारा उक्त सूचना उपलब्ध नहीं करवायी जाती है, तब तक उक्त अवार्ड राशि पर किसी प्रकार का उक्त अवधि तक ब्याज देय नहीं होगा। सम्बंधित भुगतानकर्ता पक्ष सम्पूर्ण सुचनाएं सत्यापित

कर बाद जांच उक्त अवार्ड राशि सम्बंधित बैंक खाते में सावधानीपूर्वक जमा करायेंगे। जिसके लिए वे पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे।

- आवेदकगण एक अण्डरटेकिंग अविलम्ब इस आशय की भी प्रस्तुत करें कि वो अपने खाते में भुगतानकर्ता पक्ष द्वारा जमा राशि का अधिकरण द्वारा पारित आदेश की पालना सुनिश्चित होने यथा सावधि जमा आदि होने के पश्चात् ही नियामानुसार निकासी करेंगे।
- आवेदकगण द्वारा अपने बैंक खाते की डिटेल प्रस्तुत करने पर लिपिक उक्त सम्बंधित बैंक को अधिकरण के पंचाट आदेश की प्रति भेजकर अधिकरण के आदेश की पालना सुनिश्चित करने हेतु अविलम्ब आदेश की प्रति E-mail करेंगे व पालना होने पर बैंक सम्पूर्ण डिटेल इस अधिकरण को प्रेषित करेंगे। सम्बंधित बैंक इस तरह के MACT Bank Account बाबत् जारी समस्त परिपत्रों की आवश्यक रूप से पालना करेंगे।
- सम्बंधित अप्रार्थी पक्ष द्वारा राशि उक्तानुसार जमा कराने पर उपरोक्त सूचना मय दस्तावेज अधिकरण में प्रस्तुत करेंगे।
- प्रार्थीगण का बैंक प्रार्थीगण को उक्त सावधि जमाओं के आधार पर अधिकरण की अनुमति के बिना कोई ऋण या अग्रिम राशि स्वीकृत नहीं करेगा तथा परिपक्वता पूर्व भुगतान नहीं करेगा।
- प्रार्थीगण का बैंक अधिकरण की अनुमति के बिना किसी अन्य व्यक्ति को संयुक्त खाताधारक के रूप में नहीं जोडेगा।
- प्रार्थी के नाबालिग होने की दशा में इस प्रकृति का उसके बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत किया जावे, जिसमें उसके संरक्षक का नाम विनिर्दिष्ट हो।
- प्रार्थी/आहत के नाम जो एफ.डी.आर. की गई है उन सभी पर मासिक ब्याज जरिये बचत खाता देय होगा।
- यदि अप्रार्थीगण/भुगतानकर्ता प्रार्थीगण को मिलने वाली क्षतिपूर्ति राशि के ब्याज का TDS काटा गया है तो उसका पूर्ण विवरण निर्णय में दिये गए प्रपत्र के अनुसार अधिकरण के समक्ष पेश करेंगे। इसके अतिरिक्त अप्रार्थीगण TDS की कटौती दशा में फार्म नम्बर 16A भी अधिकरण के समक्ष अधिकरण में प्रस्तुत करते हुए अधिकरण व प्रार्थीगण के अधिवक्ता को भी सूचित करेंगे।

(स्नेहा जाखड़)
न्यायाधीश,
मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण
अपर जिला न्यायाधीश, मालपुरा जिला टोंक

32. निर्णय/आदेश लिखाया जाकर आज दिनांक 08.07.2026 को विवृत न्यायालय में सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

(स्नेहा जाखड़)
न्यायाधीश,
मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण
अपर जिला न्यायाधीश, मालपुरा जिला टोंक